सामाजिक सहायता कार्यक्रम
राष्ट्रीय एवं राज्य संदर्भ

एक प्रवेशिका

विषय सूची

परिचय	07
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना	08
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	09
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना	10
राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	11
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मातृत्व सहयोग योजना	12
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना	13
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश	14
आवेदन पत्र का प्रारूप	16

परिचय

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त सन 1995 में की गयी थी. भारतीय संविधान की धारा 41 राज्य को यह निर्देशित करता है कि अपने नागरिको ससम्मान जीवन जीने के लिए विकट परिस्थितियों (जैसे बेकारी, वृद्धावस्था, बीमारी एंव अपंगता या अन्य किसी कारणवश आर्थिक रूप से पिछड़े इत्यादि) में सरकार उन्हें उनकी आर्थिक क्षमता के अनुरूप मदद प्रदान करे. राज्य के निति निर्देशक तत्व जो संविधान में निहित हैं, वे देश के सभी नागरिको को सम्मानपुर्वक जीवन जीने का हक देता है, और गरीबी/लाचारी की स्थिति में सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार भी है.

राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना एवं राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना सन 1995 में केंद्र सरकार द्वारा संचालित की गयी जबकि फरवरी सन 2009 में राष्ट्रीय विधवा पेंशन एवं राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन को जोड़ा गया. वर्तमान में सामजिक सहायता कार्यक्रम में निम्न योजनायें संचालित की जा रही हैं :–

- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना (झारखण्ड में केवल सिमडेगा एवं पूर्वी सिंहभूम जिलों में संचालित)

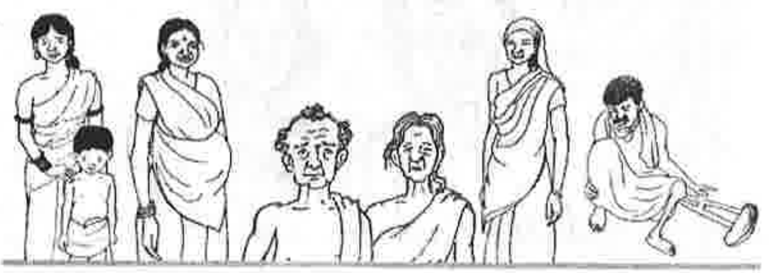

- राजकीय सामजिक सहायता योजना, झारखण्ड
- झारखण्ड राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना

उपर्युक्त योजनाओं के संचालन में ग्राम स्तर पर पंचायत एवं शहरी स्तर पर नगरपालिका की भूमिका अपेक्षित है. ये संस्थाएं हितग्राहियों के पहचान एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में अहम् भूमिक निभाते है. साथ ही साथ नागरिक संगठनों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी अपेक्षा की जा सकती है, वे ऐसे लोगो की पहचान करके उन्हें योजनाओं से जोड़ने में अपनी अहम भूमिका निभायें .

झारखंड राज्य में इस योजना का नोडल विभाग समाज कल्याण विभाग है. इस पुस्तिका में उल्लेखित तथ्य सरकारी संकल्प ज्ञापांक–06/सा.सु.(राज्य पेंशन)–1047/2013–07 श्र.नि.–रांची, दिनांक–09–01–2014, जिसमे केंद्र एवं राज्य की हिस्सेदारी एवं पेंशन की राशी तथा योग्यता की जानकारी उपलब्ध हैं.

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना देश के वृद्ध नागरिकों के लिए प्रारंभ की गयी है, जिसमें वैसे लोग शामिल हैं, जो वृद्ध एवं असहाय हैं. इसका उद्देश्य बुजुर्ग असहाय व्यक्तियों जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है, उन्हें सामजिक सुरक्षा प्रदान करना है. वृद्धावस्था के कारण कार्य करने में असमर्थता एवं परिवारिक दंश झेल रहे ऐसे व्यक्तियों के लिए यह योजना अति महत्वपूर्ण है. इस योजना में समाहित व्यक्तिओं को ` 600 प्रति माह की दर

से पेंशन की राशी प्रदान की जाती है, जिसमे केंद्र सरकार की भागीदारी ` 200 और राज्य सरकार की भागीदारी ` 400 प्रति माह है.

वर्तमान में चयन के लिए मानदंड

- आयु सीमा : 60 या उससे अधिक
- बी.पी.एल. सूचि में शामिल या
- वार्षिक आय सीमा :**शहरी क्षेत्र में** – ` 9974
  ग्रामीण क्षेत्र में – ` 7995
- राशी ` 600 प्रति माह 79 वर्ष तक (80 साल से ` 700 प्रति माह)

नोट : वैसे वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 80 साल या उससे अधिक है या कह सकते हैं कि जिन्होंने 79 साल का उम्र पार कर चुके हैं उनके लिए ` 700 प्रति माह की दर से राशी देय है. इसमें केंद्र एवं राज्य की भागीदारी ` 500 ` 200 या केंद्र द्वारा ` 500 एवं राज्य द्वारा ` 200 का भुगतान किया जाता है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना बी.पी.एल. परिवारों के विधवाओं, जिनकी उम्र 40–59 वर्ष है उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है. जो आगे चलकर 60 वर्ष की उम्र में वृद्धा पेंशन कार्यक्रम में आच्छादित कर दिए जाते है. विधवा पेंशन योजना के तहत भारत सरकार ` 300 रुपये प्रति माह की दर से भुगतान करती है जबकि झारखण्ड सरकार का अनुदान ` 300 मिलाकर यह राशी कुल ` 600 प्रति माह हो जाती है.

वर्तमान में चयन के लिए मानदंड

- आयु सीमा : 40 या उससे अधिक
- बी.पी.एल. सूचि में शामिल या
- वार्षिक आय सीमा :
  शहरी क्षेत्र में – ` 9974 **ग्रामीण क्षेत्र में** – ` 7995
- राशी ` 600 प्रति माह 79 वर्ष तक (80 साल से ` 700 प्रति माह)

यह एक महत्वपूर्ण योजना है जो निर्धन असहाय विधवाओं को सामाजिक सुरक्षा के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करता है, ताकि वे अपनी जरूरतों की आंशिक पूर्ति इस योजना से कर सके.

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना का उद्देश्य बी. पी.एल. परिवारों के विकलांगों, जिनकी उम्र 18–59 वर्ष है उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया गया है. वर्तमान में यह उम्र सीमा 18–59 वर्ष है जो आगे चलकर 60 की उम्र में वृद्धा पेंशन कार्यक्रम में आच्छादित कर दिए जाते हैं. भारत सरकार इसके लिए ` 300 प्रति माह की दर से भुगतान करती है जबकि झारखण्ड सरकार का अनुदान ` 300 मिलाकर यह राशी कुल ` 600 प्रति माह हो जाती है.

इस योजना में वैसे व्यक्ति सम्मलित किये जाते हैं, जो 80% या उससे अधिक (भारतीय अधिनियमों के अनुसार) विकलांगता की अहर्ताएं पूरी करते हों

वर्तमान में चयन के लिए मानदंड

- आयु सीमा : 60 या उससे अधिक

- बी.पी.एल. सूचि में शामिल या
- वार्षिक आय सीमा : **शहरी क्षेत्र में** – ` 9974
  ग्रामीण क्षेत्र में – ` 7995
- राशी ` 600 प्रति माह 79 वर्ष तक (80 साल से ` 700 प्रति माह)

विकलांगता प्रमाण पत्र के लिए जिले के सदर अस्पताल में प्रत्येक माह एक निश्चित तिथि को असैनिक सह शल्य चिकित्सा पदाधिकारी के कार्यालय में चिकित्सकों की टीम बैठती है, जो विकलांगता का आकलन कर उसका प्रमाण पत्र निर्गत करते हैं, पेंशन योजना में सम्मिलित होने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कागजात है.

राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत राज्य में विधवा, विकलांग, विमुक्त–बंधुआ मजदूर (जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो) तथा 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के असहाय व्यक्ति को, जिनकी वार्षिक आय सीमित हो, उन्हें सम्मिलित किया गया है. इस योजना में ऐसे लोगों को शामिल करने का प्रावधान है जो व्यक्तिद्र कें संपोषित योजनाओं में आच्छादित नहीं हो पाएं हैं. राज्य सामजिक सहायता के अंतर्गत ` 600 प्रति माह निर्धारित है.

वर्तमान में चयन के लिए मानदंड

- वृद्धा पेंशन के लिए आयु सीमा : 60 या उससे अधिक

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1995 से हुआ. प्रारंभ में यह योजना 18–65 वर्ष के व्यक्तियों को, किसी कारणवश आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उस परिस्थिति में सरकार प्रभावित परिवार को एक मुस्त राशी ` 10,000 आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान करती थी. परन्तु 18 अक्टूबर 2012 से संशोधित करके उम्र सीमा 18–65 वर्ष को 18–59 वर्ष कर दिया और सहायता के रूप में राशी को दुगुना यानि ` 20,000 कर दिया है.

वर्तमान में चयन के लिए मानदंड

- आयु सीमा : 18–59 वर्ष
- वैसे व्यक्ति की मृत्यु जो परिवार का अर्जनकर्ता रहा हो
- राशी ` 20,000 एक मुस्त

इस योजना के लिए मृत व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र, बी.पी.एल. कार्ड की प्रति, तथा पंचायत प्रतिनिधि या कर्मचारी का सत्यापन जरुरी है.

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश

खाद्य सुरक्षा को लेकर सर्वोच्च न्यायलय में एक रिट पेटीसन दर्ज किया गया जो PUCL vs- Union of India & Others in the case CWP 196/2001 के नाम से जाना जाता है. समय समय पर सर्वोच्च नयायालय ने खाद्य सुरक्षा से सम्बंधित अंतरिम आदेश पारित किये हैं और इन कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश भी दिए हैं, जो निम्न हैं–

28 नवम्बर 2001 का आदेश सामाजिक सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत सभी राज्य सरकारें

हितग्राहियों का चयन करें और 1 जनवरी 2002 तक भुगतान कि शुरुआत करें

- सामाजिक सहायता पेंशन प्रतिमाह 7 तारीख से पहले राशी का भुगतान नियमित रूप से किया जाये
- सामाजिक सहायता अंतर्गत मुख्य अर्जक कि मृत्यु के 4 सप्ताह के अन्दर स्थानीय सरपंच के माध्यम से राशी का भुगतान सुनिश्चित किया जाये.

27 अप्रैल 2004 का आदेश भोजन के अधिकार से सम्बंधित कोई भी योजना जो कि इस

केस में मानी गयी है, उसे सर्वोच्य न्यायलय के आदेश के अनुसार बंद नही किया जायेगा.

20 नवम्बर 2007 का आदेश :-

राष्ट्रीय मातृत्व सहायता योजना को चालू रखा जायेगा

- गरीबी रेखा के निचे आने वाली सभी महिलाओं को प्रसव के 8–12 सप्ताह पहले आर्थिक सहायता प्रदान कि जाएगी.
- सभी सम्बंधित सरकारों को आदेशित किया गया है कि वो योजना का प्रचार प्रसार लगातार करें.

■ ■ ■

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था/विधवा/विकलांग योजना अंतर्गत पेंशन के निमित्त आवेदन पत्र

फोटो

1. आवेदक/आवेदिका का नाम..
2. पिता/पति का नाम..
3. पता – ग्राम/मुहल्ला..

   पंचायत..

   डाकघर..

   प्रखंड.......................... थाना..........................

   अनुमंडल.......................... जिला..........................
4. आयु..
5. बी.पी.एल. संख्या (2002–07 के अनुसार)..
6. बैंक/डाकघर का खाता संख्या ....
7. मैं घोषणा करता/करती हूं कि मैं मूलतः झारखंड का वीसहूं जन्म से झारखंड राज्य में रह रहा/रही हूं।

आवेदक का हस्ताक्षर या
अंगूठे का निशान

हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक का जांच प्रतिवेदन

आवेदक/आवेदिका की आयु 65 वर्ष से अधिक/कम है। इनका नाम बी.पी.एल. सूची (2002–2007) में दर्ज है। बी.पी.एल. संख्या .... है। ये सुयोग्य श्रेणी में आते हैं। इनका पेंशन स्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है।

हल्का कर्मचारी का हस्ताक्षर

अंचल निरीक्षक का हस्ताक्षर

अंचल अधिकारी का अनुशंसा

हल्का क्रर्मचारी/अंचल निरीक्षक के जांचोपरान्त आवेदक/आवेदिका का पेंशन स्वीकृत करने की अनुशंसा करता हूं।

अंचल अधिकारी

अनुमण्डल पदाधिकारी का आदेश

आवेदक/आवेदिका का इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था/विधवा/विकलांग पेंशन योजना अन्तर्गत पेंशन भुगतान हेतु आवेदन.. स्वीकृत/ अस्वीकृत किया जाता है।

अंचल अधिकारी

भोजन का अधिकार अभियान, झारखंड
363ए, रोड नं. 4बी, अशोक नगर, रांची
ई-मेल - rtfcjharkhand@gmail.com